श्री अरुण जेटली: नक्सलाइट पर आरोप नहीं लगा सकते। .....(व्यवधान)

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: ये गलत बात कर रहे हैं .....(व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is not correct. *(Interruptions)* This is not correct. *(Interruptions)*

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at
forty-one minutes past three of the clock.

The House re-assembled at thirty-one minutes past four of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 5 O' clock.

The House then adjourned at
thirty-one minutes past four of the clock till five of the clock.

The House re-assembled at one minute past five of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Re. Train Accident on the 14th December, 2004 at Jalandhar-Pathankot Section in Ferozpur Division of Northern Railway

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर देने के पश्चात् श्री जसवन्त सिंह जी, माननीय नेता विपक्ष, ने एक विषय उठाया। मेरी राय में सदन में चल रही बहस से मैं इसको अलग मान कर, गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको दिखवा लें और जब चाहें उस पर सदन को अवगत कराएं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सर, 14 तारीख को बड़ी दर्दनाक घटना रेलवे में हुई और लोक सभा में मैंने अपना स्टेटमेंट देकर, ज्यों ही मालूम हुआ, लोक सभा में बयान देकर मैं घटनास्थल पर गया, महोदय। घटनास्थल पर रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों को और मीडिया के लोग भी वहां थे। महोदय, वहां जाकर हमें जो काम करना था, वह किया। दोनों हाउस में दोनों राज्य मंत्री तैनात थे। लेकिन कल मुझे यह जानकारी मिली कि मेरी खोजाई हो रही है और.....

श्री सभापति: खोजाई नहीं हो रही है, आपकी खोज हो रही है।

श्री लालू प्रसाद: हां, मेरी खोज हो रही है। महोदय, माननीय अटल जी ने कहा कि where is Lalu Yadav?

श्री सभापति: खाली लालू।

श्री लालू प्रसाद: लालू यादव, जो भी बोलें, उम्र में वे हमसे बड़े हैं, where is Lalu? लालू कहीं एबस्कौंड नहीं किया। Everywhere is a Lalu. और महोदय .....(व्यवधान).....

MR. CHAIRMAN: Where there is ***aloo***, there is always Lalu.

श्री लालू प्रसाद: जहां आप खोजिए, वहीं मिल जाएंगे। महोदय, मैं भागा-भागा कल आया और जब मैं अपने अपर हाउस में, जहां से मैं त्याग करके गया था, सबसे पहले आया सर, लेकिन हमारी बात कल नहीं सुनी गई। मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय सदस्यों की, विरोधी पक्ष के जो नेता हैं और माननीय अहलुवालिया जी, बहन सुषमा जी, मेरी तलाश में इनकी बहुत सारी शक्ति एक्जॉस्ट हुई होगी। इसके लिए मुझे खेद है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री लालू प्रसाद: और हाउस से अलग कहां जा सकते हैं? हाउस तो हम लोगों का घर है, महोदय, मन्दिर है, मजिस्द है, गिरजा है, गुरुद्वारा है।

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, दिनांक 14-12-2004 को लगभग 12 बजे जालंधर से पठानकोट जा रही 1 जे एम पी डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयु) पैसेंजर गाड़ी, जम्मू-तवी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰ 9112) से टकरा गई। जालंधर-पठानकोट पैसेंजर के दो सवारी डिब्बे उलट गए और जम्मू-तवी एक्सप्रेस गाड़ी के दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना भंगाला और मीरथल स्टेशनों के बीच हुई, जो उत्तर रेल के फिरोजपुर मंडल के जालंधर-पठानकोट खंड पर है। यह स्थल पंजाब के होशियारपुर जिले में है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पठानकोट और लुधियाना से मेडिकल वैन का तुरंत प्रबंध किया गया। पठानकोट की मेडिकल वैन अपराह्न 1 बजे तथा लुधियाना की मेडिकल वैन 2 बजकर 50 मिनट पर पहुंची।

संसद में बयान देने के बाद, मैंने रेल राज्य मंत्री, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और उन अस्पतालों में गए, जहां घायलों को भर्ती किया गया था तथा मृतकों का जहां पोस्ट-मॉर्टम हो रहा था। देखा, नमन किया। अस्पताल के प्राधिकारियों को उच्च प्राथमिकता पर आवश्यक चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए कहा गया। दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया मानवीय विफलता प्रतीत होती है। यह पाया गया कि संबंधित दोनों स्टेशन भंगाला एवं मीरथल के ब्लॉक उपक्रम एक दिन पहले से खराब थे। मैंने

सदस्य, बिजली रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह ब्लॉक उपकरण की खराबी के कारण एवं उस के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को चिह्नित करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसी स्थिति में नियमानुसार दोनों स्टेशनों के स्टेशन को पेपर लाईन क्लीयर की प्रणाली के तहत गाड़ियों का संचालन करना होता है। इस प्रणाली में एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जहां से गाड़ी छूटनी होती है, उस के लिए लाईन क्लीयर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राईवेट नम्बर के आदान-प्रदान कर के लिया जाता है। स्पष्टतया यही प्रतीत होता है कि निर्धारित नियमों का अनुपालन संबंधित स्टेशन मास्टरों ने सही तरीके से नहीं किया और एक ही सेक्शन में दोनों तरफ से गाड़ियों को स्टेशन में छोड़ दिया जिस के कारण यह टकराव हुआ।

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर क्षेत्र दुर्घटना की वैधानिक जांच कर रहे हैं जो कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेंगे एवं भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए उचित सुझाव देंगे।

इस घटना में मृतकों एवं घायलों की संख्या निम्न प्रकार है:-

मृतकों की संख्या	38
घायलों की संख्या	52
जिनकी अस्पताल से छुट्टी की जा चुकी है	13
जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं	39 (गंभीर 16, साधारण 23)

(मुकेरियां, दसूआ, जालंधर और लुधियाना के अस्पतालों में)

मैंने निम्नानुसार अनुग्रह राशि की घोषणा तत्काल में की है। यह अंतिम नहीं है।

मृतकों को तत्काल	1,00,000/- रु० प्रत्येक
गंभीर रूप से घायलों को	15,000/- रु० प्रत्येक
मामूली रूप से घायलों को	5,000/- रु० प्रत्येक

और यह भी कहा है कि घायलों को बचाने के लिए चाहे जितना भी खर्चा जहां भी जिस अस्पताल में लगे, हमारे रेल पदाधिकारी रेल कोष से उन का इलाज़ कराएंगे।

उक्त तत्काल राहत के अलावा रेल दावा प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपया एवं घायलों को भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा दिया जाएगा। मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों एवं इस दुर्घटना से अपंग हुए व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी देने का आदेश हम ने दिया है मायने रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब ने भी मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

मैंने निर्देश दिया है कि घायलों का मुफ्त इलाज रेलवे की तरफ से कराया जाएगा एवं इलाज के पश्चात् उन्हें अपने परिजनों के पास रेलवे के खर्चे पर पहुंचाया जाएगा।

भंगाला और मीरथल दोनों स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों स्टेशन मास्टरों के खिलाफ एफ॰आई॰आर॰ (F.I.R.) दर्ज करा दी गई है। एक स्टेशन मास्टर आज गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरे फरार हैं। पुलिस द्वारा उन की खोज जारी है। संबंधित सेक्सन इंजीनियर (निर्माण), एवं सेक्सन इंजीनियर (दूरसंचार) को भी निलंबित कर दिया गया है।

लाइन को दिनांक 15.12.2004 को सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर बहाल कर दिया गया है और पहली गाड़ी 4 बजकर 10 मिनट पर गुजर चुकी है।

श्री सभापति: राम देव जी, आप कुछ बोलेंगे?

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): एक मिनट बोलूंगा। माननीय सभापति जी, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना हुई है। मंत्री जी ने विस्तार से इस के बारे में बताया है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं, कामना करता हूं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए तुरंत अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ घटना स्थल के लिए प्रस्थान किया। सभापति महोदय,बहुत सी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा महसूस होता है कि कोई रेलमंत्री इतनी जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचा हो। महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... मैंने ऐसे रेल मंत्री भी देखे हैं जो यहीं से बैठकर घटना को मॉनिटर करते थे, यहां दिल्ली में बैठकर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप उधर मत देखिए, आप तो लालू जी को देखकर बोलिए।

श्री लालू प्रसाद: सर, जहां दुर्घटना घटी, उस गांव का नाम है इर्सा मानसर। इस गांव के लोगों ने इतना काम किया है कि उनकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और पठानकोट के हमारे सैनिकों ने, एयरफोर्स के लोगों ने बहुत मुस्तैदी से अपना पूरा काम किया-राहत का काम किया, लोगों को सही जगह लेकर गए, एक-एक को अटेंड किया। इस इर्सा मानसर गांव को, माननीय गिल साहब ने भी हमको कहा है, हम रेलवे की तरफ से दस लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं ताकि उस गांव का विकास हो सके और इसका मैसेज देश को जा सके।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा एक सवाल यही था कि गांव वालों को प्रोत्साहन के रूप में सहायता दी जाए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका वहां के स्थानीय अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा हो, उन्हें दिल्ली लाकर बड़े अस्पतालों में

उनका इलाज कराया जाए और मंत्री जी ने तो कहा ही है कि सारा खर्चा रेल विभाग वहन करने जा रहा है। मैं मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री अरुण जेटली (गुजरात): सभापति जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिस घटना के तहत दो रेलों का इस प्रकार से टकराव हुआ और कई मासूम पैसेंजर्स, जो उनमें थे, की जान इसमें गई है। कई विषय हैं जो इसमें से उभरकर सामने आते हैं।

जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई है, वह जालंधर से लेकर जम्मू तवी तक का जो ट्रैक है, उसका एक हिस्सा है। यह बात सार्वजनिक जानकारी में है कि जम्मू और जालंधर का कनैक्शन एक मात्र सिंगल ट्रैक है। जालंधर तक दो ट्रैक जाते हैं और उसके बाद एक सिंगल ट्रैक है और जिस स्थान पर यह है, इसकी संवेदनशीलता यह भी है कि केवल पंजाब के कुछ क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्र, हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में जाने का भी यह एक साधन बनता है और उसके साथ-साथ हमारी जो सुरक्षा फोर्सिस हैं, उनके मूवमेंट का भी इस ट्रैक के माध्यम से एक प्रयास रहता है। इसलिए मंत्री जी, शायद अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है, जो वहां पर जाकर देखा है, कि कई वर्षों से इस ट्रैक को डबल ट्रैक बनाने की योजना चल रही है यह डबल ट्रैक बनाने की जी योजना इस क्षेत्र में है, जालंधर से लेकर जम्मू-तवी तक, उसकी क्या प्रोग्रैस है और कब तक इसके समाप्त होने की संभावना है ताकि डबल ट्रेक होने के बाद इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो पाएं?

दूसरा प्रश्न इसमें से जो उभरता है, वह है कि रेल सुरक्षा को लेकर एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता पूरे देश के सामने है क्योंकि कई प्रकार के बड़े एक्सिडेंट इस तरह के रेलवे के हुए हैं। रेल सुरक्षा के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक प्रश्नचिन्ह सामने लगा हुआ है। विशेष रूप से कल समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर यह देखने को मिला कि रेलवे के जो दूर संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन है, इस वर्ष के दौरान उन पर कितना खर्च किया जाना है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न उभरता है कि क्या रेलवे के पास इस प्रकार की रेलों में कोई एंटी कोल्यूजन के प्रायर वार्निंग देने वाले साधन हैं या नहीं? अगर हैं, तो क्या इन रेलों के अंदर वे ऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर नहीं हैं, तो क्या इस प्रकार के साधन आज टैक्नालॉजी के आधार पर उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार की रेलों में लगाए जा सकते हैं?

तीसरा विषय यह उभरता है कि रेल मंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पुराना अनुभव यह है कि जब इस प्रकार की जांच की घोषणा होती है तो एक्सिडेंट वाले दिन तो उसका बहुत बड़ा समाचार बन जाता है, लेकिन उसके बाद उस जांच का क्या हुआ, हम लोग भूल जाते हैं। खन्ना में जो रेल एक्सिडेंट हुआ था, उसकी जांच के लिए हाई कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उसने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि इसके कारण क्या थे, उस, जस्टिस गर्ग इंक्वायरी की रिपोर्ट हाल ही में आई है और जहां तक मेरी जानकारी है कि

रेल एक्सिडेंट क्यों हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करने के जो कारण थे उनका पता लगाने में लगभग पांच वर्ष जज साहब को लग गए। पांच साल के बाद जब वह जांच सामने आई है तो अब पढ़ने में यह आया है कि रेल अधिकारी शायद उसकी रिकमेंडेशन्स का काफी बड़ा अंश अस्वीकार कर रहे हैं। तो क्या इस जांच के साथ भी ऐसा ही होगा या इस जांच की भी कोई समय-सीमा हम लोगों ने बांधी है? चौथा प्रश्न यह उभरता है कि रेल मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों के अन्दर वे गए और चार हॉस्पिटल्स के अन्दर जिन लोगों को चोटें लगी हैं, वे लोग मौजूद हैं, तो क्या रेल मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन चारों में से कौन से हॉस्पिटल के अन्दर वे स्वयं गए थे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सब का एक साथ दे देंगे। ...(व्यवधान)... सब का एक साथ दे देंगे।

श्री लालू प्रसाद: हम एक-एक करके जवाब दे देंगे। नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक-एक करके दें। ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: महोदय, एक-एक करके हम जवाब दे देते हैं, नहीं तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। माननीय जेटली जी ने मुझे स्मरित किया, स्ट्रैटेजिक प्वायंट है हमारा, रणनीति के ख्याल से भी, और हमको जानकारी नहीं भी कि यह सैंक्शन्ड है, मैंने घटनास्थल पर ही कहा कि हम डबल करेंगे। पहली बात यह है कि जालंधर-पठानकोट, जम्मू-तवी में परियोजना की स्वीकृति 1997-98 में हुई। सी.सी.ए. क्लीयरेंस 2002 में मिला। कुल दूरी 203 किलोमीटर है। कुल लागत 408 करोड़ रुपये है। 1.04.2004 तक 95 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2004-05 का बजट आवंटन 34 करोड़ है। जून 2005 तक 57 किलोमीटर डबलिंग होगा जिसमें मुकेरिया, भंगाला, भीरथल सैक्शन शामिल है। इसी सैक्शन में दुर्घटना हुई है। मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी इम्पॉर्टेन्स को देखते हुए, दो सालों के अन्दर इसका पूरा डबलिंग हम लोग करा देंगे और जो भी राशि है उससे युद्ध स्तर पर हम लोग यह काम करायेंगे। माननीय श्री जेटली जी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या दुर्घटना रोकने के लिए जो राशि आप लोगों को मिलती है, आप उसमें क्या कर रहे हैं? महोदय, रेल पथ नवीकरण में 2004-05 में हम 1,320 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। यह सब जितनी लायबिलिटी है, अब हमने यह काम शुरू किया है। जहां पुल पर एक्सीडेंट हो जाता था, उसमें 430 करोड़ रुपए सिग्नल एवं दूर संचार 580 करोड़ रुपए, चल स्टाफ 560 करोड़, अन्य बिजली संबंधी कार्य 1 करोड़, मशीनरी और संयंत्र 12, अन्य विशिष्ट कार्य 30 करोड़, कुल 2933 करोड़ का हम यह काम करने जा रहे हैं? टक्करों को रोकने के लिए स्टेशनों पर तथा इंजन पर विशिष्ट एवं स्वचालित तकनीक का यथा संभव प्रयोग किया जाता है, ताकि मानवीय भूल से दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो। स्टेशनों पर सिग्नेलिंग और इंटरलॉकिंग प्रणाली मानवीय भूल पर रोक लगाती है। भारतीय रेल सुरक्षा कवच (ए.सी.डी.) का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिससे यदि दो गाड़ियां एक ही लाईन पर आ जाएं तो उसी रक्षा कवच तीन किलोमीटर पहले से ही

एस.ओ.एस. भेज देगा और इंजनों में अपने आप ब्रेक लगेगा और गति नियंत्रित हो जाएगी। खन्ना दुर्घटना कमीशन की रिपोर्ट के मामले में मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका फाइनल अवलोकन हमने नहीं किया है। कई तरह की चर्चा मीडिया में, बाहर से, माननीय सदस्यों की तरफ से आ रही हैं मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अनुशंसा है और जिन लोगों की तरफ उनका इशारा है, मेरे शासनकाल में, मेरे रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जहां उनका कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन है, उसको ग्रहण करेंगे और जिनकी गलती से यह सब काम हुआ है, उनको हम दण्डित करेंगे। मैं हाउस को यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री लालू प्रसाद: तो आपका तो सब हो गया? ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: श्रीमती एन.पी. दुर्गा ..(**व्यवधान**).. आप बैठ जाइए। बैठ जाइए।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh) Sir, I have five points on which I would like to seek clarifications from the hon. Minister. I would like to know from the hon. Minister whether there is any action plan to convert passenger coaches from fire-prone to fireproof. Is the Ministry thinking to eliminate the use of combustible material in coaches? My second point is, there was a proposal in the Ministry to develop... (*Interruptions)*

श्री सभापति: यह कोई प्वांइट नहीं है। इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उस पर यदि आपको कोई क्लेरिफिकेशन करवाना हो तो करवा लीजिए।

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, I am putting points only. *(Interruptions)* ठीक है, सर।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्रीमती एन. पी. दुर्गा: ठीक है, सर।

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बैठिए, अभी दूसरे बोल रहे हैं।

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, I am asking points.

श्री सभापति: नहीं ये प्वांइट्स नहीं हैं। इसे रेलवे से मत जोड़िए।

श्रीमती एन.पी.दुर्गा: ठीक है, सर।

श्री सभापतिः पूरे रेलवे सिस्टम से इसे मत जोड़िए, दुर्घटना के संबंध में जो वक्तव्य दिया है, यदि उसका कोई क्लैरिफिकेशन हो तो मांग लीजिए।

श्रीमती एन॰ पी॰ दुर्गाः सेफ्टी के बारे में, I am asking.

श्री सभापतिः नहीं, छोड़िए।

श्रीमती एन॰ पी॰ दुर्गाः ठीक है, सर।

श्री लालू प्रसादः माननीया दुर्गा जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, रेल मंत्री बनने के साथ, रेल के अंदर जो आग लगती है, वह शॉर्ट सर्किट से हुआ या कैरोसिन तेल कोई ले जा रहा हो, उससे हुआ या कोई गैस ले जा रहा हो, उससे भी आग लगती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही स्पष्ट यह निर्देश दिया है कि कोई भी विस्फोटक सामान गैस इत्यादि, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे ताकि हमारी रेलों का कोई नुकसान न हो। नए कोच में पहले से ही अग्निरोधी उपकरणों के उपाय किए जा रहे हैं। इन पर सब काम किया जा रहा है। यह पूरी जिम्मेदारी जो हमारे सिर पर आई है, उसकी हमने इन छः सात महीनों में बुनियाद डाली है। सुरक्षा और मॉडर्नाइजेशन हमारी प्राथमिकताएं हैं। इस बारे में हमारी प्रधान मंत्री जी से भी बात हुई है और हमने 25000 करोड़ का प्रोजैक्ट भी लिया है। रेलवे लाइनों की सुरक्षा, सिंगल सिस्टम इत्यादि पर काम किया जा रहा है।

श्री सभापतिः सबका सिंगनल सिस्टम कर देंगे क्या?

श्री लालू प्रसादः हम एक नम्बर की रेल बनाएंगे। हमारा सब काम ठीक हो रहा है। पहले सिंगल सिस्टम था, ऐसे जाता था। वह अब इलेक्ट्रिक हो जाएगा।

श्री सभापतिः अब वैसे जाएगा।

श्री लालू प्रसादः अब ऊपर जाएगा।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एक्सीडेंट मानवीय भूलों की वजह से हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ सिस्टम प्रणाली पर काम किया जा रहा है, लेकिन कल टैलीविजन पर एक रिपोर्ट में था कि एक लेज़र सिस्टम आता है। एक रिपोर्ट मैट्रो रेलवे कार्पोरेशन के चेयरमैन की भी थी कि उन्होंने पहले से ही प्रकाशन लिए हैं, इस प्रकार के सिस्टम लगा कर, जिससे कि दुर्घटनाएं न हों और जिससे ट्रेन अपने आप रुक जाती है। क्या आप भी उस सिस्टम को लेने पर विचार कर रहे हैं जिस सिस्टम को मैट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने लगाया हुआ है? दूसरी चीज, उन्होंने बतायी कि दोनों ही स्टेशन मास्टर फ़रार हैं ...(**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसादः एक पकड़ा गया है।

श्री राजीव शुक्ल: अच्छा, एक पकड़ा गया है। तब इसमें उन्हें पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है या नहीं? तीसरा पिछले दो-तीन वर्षों में कौन कौन सी बड़ी रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही का जा रही है। ...(**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसाद: माननीय सदस्य, श्री राजीव शुक्ल जी का सुझाव है, वह ग्रहण करने योग्य है और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आप लिख कर भी दे दीजिएगा, हम मंगवा भी लेंगे। 4 जून, 2002 को कानपुर-कासगंज एक्सप्रेस बस से टक्कर हो जाने के कारण 49 व्यक्ति मारे गये और 29 घायल हुए। 9 सितम्बर, 2002 को 32301 राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर जाने के कारण ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: वह सब मामला सभा में आया हुआ है।

श्री लालू प्रसाद: उल्लेख कर देते हैं।

श्री सभापति: नहीं, वह सबको जानकारी है।

श्री लालू प्रसाद: नहीं, इन्होंने पूछा है।

श्री सभापति: ये तो जान-बूझ कर पूछ रहे हैं। इन सबको बताने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री लालू प्रसाद: सर, दुर्घटनाओं का प्रतिशत घटा है, लेकिन हमारे इन दोनों स्टेशन मास्टरों की बुद्धि पर रेलवे के कर्मचारी अफसर भी हंस रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ है अन्यथा हमारे समय में बहुत कम एक्सीडेंट हुए हैं और आगे नहीं हों, इन कोशिशों में हम लगे हुए हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Chairman, Sir, both the trains, according to the hon. Minister, the Jalandhar-Pathankot and Jammu-Ahmedabad train were going on the same line. The hon. Minister's statement is very clear that the block instrument signal has failed on the previous day, and therefore, they were relying upon old fashion measure of paper line clearance system. Sir, the signal is a very important system for the purpose of allowing trains to move and also for the movement of goods train. I would like to know from the hon. Minister, according to the manual, what is the time-frame fixed for repairing the system that failed at that time? My second question is: in the last four years how many accidents occurred in this country? I would like the hon. Minister to give a comparative detail on this. The Minister was speaking about the modernisation of signalling system. This accident occurred because of human failure. Therefore, I would like to ask the hon. Minister—which my other colleague has mentioned—whether the Ministry is going to give top priority for improving and modernisation the signalling system.

श्री लालू प्रसाद: महोदय, सिग्नलिंग सिस्टम फेल रहने के बाद भी जो इससे संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस व ट्रेनिंग दी गई है। ब्लॉक वर्किंग मेन्युअल में 1983 से ही यह सारी व्यवस्था है और उसमें लिखा है कि:

"Passing of trains when single line block instruments become defective—In the event of failure of the instruments, trains shall be worked on paper line clear which may be obtained:—

(a) by the telephone attached to the block instrument:

(b) by morse telegraph instrument in the event of failure of (a) above:

(c) Through the section controller in the event of failure of (a) and (b) above:

(d) VHF sets in the event of failure of (a), (b), and (c) above.

Whenever line clear is obtained by any one of the alternative means of communications prescribed above, enquiry and reply books shall be brought into use by the two station masters and the procedure laid down in chapter V for obtaining line clear observed, Paper line clear ticket shall be issued to the driver as his authority to enter the block section."

महोदय, लबुलबाब इस कानून का मतलब है कि जब सिस्टम फेल है तो उस समय भी हमारे पास एक आल्टरनेटिव व्यवस्था है कि टेलीफोन और पेपर पर जब एक स्टेशन मास्टर दूसरे को भेज देगा और जब उसके ज्यूरिस्डिक्शन में यह ट्रेन इन कर आएगी जब वह नम्बर काटेगा प्राइवेट नम्बर देकर और तब दूसरी लाईन में वह छोड़ेगा। यहां दोनों विद्वानों ने क्या किया है कि दोनों तरफ से रेल को छोड़ दिया कि जाकर मरो, किसी ने यह देखा ही नहीं। इसलिए हमने यह माना है तथा स्वीकार किया है और हम छिपाना नहीं चाहते हैं। हमने कहा है कि अंततोगत्वा यह ब्रूटल मर्डर है, हमने इसको माना है और इसमें हमने हिम्मत और साहस करके, क्योंकि एक करोड़ लोग हम पर ट्रस्ट करके ट्रेन में सफर करते हैं और अगर इस तरह का तत्व हमारे रेलवे में रहेगा, तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हम तब से इसमें लगे हुए हैं, जब से हमने देखा है कि सब काम ठीक हो रहा था और यह हमारी बदनामी कराई गई है। रेल तंत्र में भी न जाने किस-किस तरह के अफसर और कर्मचारी घुसे हुए हैं। इसके लिए भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आई॰बी॰ से जांच करा दीजिए कि ये दोनों आदमी कौन हैं, इनकी संलिप्तता कहां पर है, इसकी भी जांच कराने की घोषणा हम करना चाहते हैं।

श्री सभापति: बस, हो गया। बैठिए ...(**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसाद: ये दोनों स्टेशन मास्टर हमारे अफसर हैं। हमारी ट्रेन में इतने पैसेंजर्स तथा रेल मिनिस्ट्री से लेकर सेना के पदाधिकारी तक चलते हैं। इन दोनों की हम जरूर जांच कराएंगे कि क्या इनकी कहीं एंटी सोशल एलीमेंट से संलिप्तता है या नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए इसको हम देखेंगे। हम देखेंगे ठीक है, तो ठीक है और नहीं तो नहीं। फिर तो जो यह अपराध किया है वह सजा का भागी है। हम इसको देखेंगे। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: ठीक है, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**) लालू जी, बैठिए।

श्री एम॰ एस॰ गिल (पंजाब): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था। यह पंजाब में पिछले कई सालों में सातवां एक्सीडेंट है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे बहुत नुकसान हुआ है। मंत्री जी एकदम मौके पर गये, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो कम्पनसेशन पांच-पांच लाख का है, वह भी देने के लिए उन्होंने बोला है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को कम्पनसेशन मिलेगा, जैसा कि इन कामों में, उनका रवैया है, लोगों को इलाज भी मिलेगा। मैंने उनसे अर्ज की थी कि आज पंजाब के मुख्य मंत्री ने उस गांव को दस लाख रुपया दिया है, जिन्होंने एकदम जुट कर सहायता की, वे जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया और लोगों की सेवा की। जब इसके बारे में, मैंने मंत्री जी से पूछा, तो इन्होंने इसकी ताईद की और बताया कि ऐसे ही हुआ है। वह भी उस गांव के लोगों को 10 लाख रुपये देंगे। यह खुशी की बात है। लेकिन एक बेसिक चीज जरूर है-एक तो जो जेटली जी ने कहा था कि वह ट्रैक बहुत इंटेंसिव यूज है, नेशनल ट्रैक है, बार्डर के ऊपर है, जम्मू तक है, आगे तक के लिये है, डिफेंस के लिए भी और वैसे भी एग्रीकल्चरली और इंडस्ट्रियली, तो वह काफी उपजाऊ इलाका है। उन्होंने यह कहा कि दो साल के अंदर इसको पूरा डबल कर देंगे। मुझे विश्वास है, जैसा कि मैं उन्हें जानता हूं, यह होकर रहेगा, अब ढीला नहीं पड़ेगा और दो साल में यह हो जायेगा। हम भी यहां होंगे और वे भी यहां होंगे, तो देखते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, 13 दिसम्बर को आपने मुझे बोलने का मौका दिया था और मैं यहां रेलवे सप्लीमेंट्रीज पर बोला था कि एक चीज सारे देश में है, जिसका वे जिक्र भी कर चुके हैं, जेटली जी की स्पीच भी पूरी है, उन्होंने जवाब भी दे दिया, उसमें आधी बात मेरी भी खत्म हो गयी। लेकिन फिर भी, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक, सिग्नलिंग इक्युपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, डिसिप्लीन एंड कंट्रोल ऑफ स्टाफ, ये चार चीजें बहुत फंडामेंटल हैं। वे काफी सख्त मंत्री हैं और वे देश के लिए कुछ अच्छा काम करवा देंगे। यह मैं अर्ज करता हूं। मैं उनको धन्यवाद तो देता ही हूं, लेकिन सारे देश में ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाये। धन्यवाद।

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, I wish to seek one or two clarifications on the statement.

The hon. Minister has accepted in his statement that *prime facie* cause

of the accident appears to be human failure. If we look at the recent accidents that have taken place, we will know that on many occasions, it is the human failure which is behind the accidents. The Railways is having very inadequate staff. Drivers of even the good trains have to work 16-18 hours a day.

It has also been stated in the statement that the block instruments of both the stations had been out of gear from the previous day. So, I would like to know from the hon. Minister whether this is because of less staff or because of workers doing overtime. In recent times, the Railways is adopting a policy of 'less staff-more work'. Works in various Departments are being given to private contractors. So, I wish to know from the hon. Minister whether the accident occurred due to shortage of staff or due to overtime because of which they get tired and will not be able to do their work with utmost concentration.

श्री लालू प्रसाद: सर, इसमें बिल्कुल मानवीय भूल ही नहीं, इसमें मनुष्य के रूप में तो ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं। इन लोगों ने लाइन क्लियर दिया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया, दोनों तरफ से गाड़ियों को कह दिया कि चले जाओ। महोदय, टक्कर रोधी यंत्र रेलवे में, एन॰एफ॰ रेलवे में स्टार्ट कर दिया गया है। हम पूरे देश में पांच साल में एंटी-कॉलीजन डिवाइस लगाने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे पर मानवीय भूल दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण हैं । रेलवे कर्मचारियों की गलती रेलवे दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। लगभग 55 प्रतिशत रेल कर्मचारियों की गलती से, इतर व्यक्तियों की गलती से, मुख्यत: सड़क उपभोगकर्ता लगभग 30 प्रतिशत, चौकीदार रहित स्थानों पर दुर्घटना, चौकीदार सहित स्थानों पर दुर्घटना कुछ दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। शिला खंडों का गिरना, रेल पथ का धसना, जैसे अकस्मात कारण भी रेल दुर्घटना के कारण हैं। 2003-04 के दौरान कुल 325 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 181 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण, 96 दुर्घटनाएं रेलकर्मियों के इतर व्यक्तियों की गलती के कारण, 7 दुर्घटनाएं उपकरणों की खराबी के कारण 20 दुर्घटनाएं तोड़-फोड़ के कारण 18 दुर्घटनाएं अकस्मात कारणों से हुई हैं और तीन दुर्घटनाओं में कारण का पता नहीं चल सका है। टक्कर रोधी यंत्र एन॰ एफ॰ रेलवे में हमने शुरू कर दिया है और अगले पांच सालों में हम पूरे देश में इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं दो-तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि जब से रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने एक बात की सार्वजनिक घोषणा की थी कि रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा उनका प्रथम दायित्व रहेगा। पिछले छठ में दिल्ली स्टेशन से ट्रेन, हम दोनों के

प्रदेश जा रही थी जिसमें लोग स्टैम्पैड में मारे गए। संभवतः आदरणीय मंत्री जी भी उसमें यात्रा कर रहे थे, उसे भी मानवीय भूल बताया गया था। मंत्री जी, आज आपने जो वक्तव्य रखा है, उसमें भी आपने इस बात को स्वीकार किया है कि यह मूलतः मानवीय भूल थी। मेरे आपसे प्रश्न ये हैं कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि सिगनलिंग सिस्टम एक दिन से खराब था। जैसा कि माननीय अरुण जी के प्रश्न के उत्तर में आपने स्वीकारा है, कि अगर सिंगल ट्रैक होता है और उसमें अगर सिगनलिंग सिस्टम खराब है, जिससे एक्सीडेंट की आशंका बढ़ती है, तो उसकी मानीटरिंग की क्या व्यवस्था है? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, अगर यह एक दिन से खराब था तो दोनों स्टेशन मास्टरों को किसके द्वारा सूचना दी गई-सावधान हो जाओ, जरा भी इनडिफरेंट नहीं रहो, सिगनलिंग खराब है। क्या यह किया गया? यह करने का दायित्व किसका था? यह लापरवाही जो ऊपर तक चल रही है, वह किसकी थी? माननीय मंत्री जी, इसी से एक बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है और आपने कहा है कि दो स्टेशन मास्टरों के खिलाफ एफ॰ आई॰ आर॰ दर्ज करने का आदेश दिया है। अगर लापरवाही ऊपर से आरंभ हो रही है तो यह सिर्फ दो स्टेशन मास्टरों के खिलाफ होगी? मानीटरिंग हत्या की बात आपने सभी स्वीकारी है कि यह हत्या का मामला है, तो हत्या के दायित्व की परिधि क्या है? इसमें ऊपर के पदाधिकारी आएंगे या नहीं आएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने उस उत्तर में भी हत्या का जिक्र नहीं किया है जिसकी आपने सार्वजनिक घोषणा की थी, आपने बाद में clarify किया है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यह केवल दो स्टेशन मास्टरों तक ही सीमित क्यों? यह दायित्व उससे ऊपर तक क्यों नहीं जाएगा और अगर ऊपर तक जाएगा तो कहां तक जाएगा? क्या लापरवाही के लिए आप दायित्व लेंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, माननीय सदस्य रवि शंकर जी ने जो प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहा है, माननीय सदस्य राजीव शुक्ल के प्रश्न के जवाब में ब्लॉक वर्किंग मैनूअल को, समय बचाने के लिए, मैंने आधा पढ़कर सुनाया। महोदय, पहला प्रश्न इन्होंने यह किया कि छठ व्रत पर छठ, दीपावली और पवित्र ईद का त्यौहार, तीनों संयोग से जुटे और एक विज्ञापन करके भारतीय रेल ने पहली बार लगभग 150 विशेष ट्रेन्स—यह गलती हो सकती है हमारे रेलवे अधिकारियों की, कि एक ही जगह से हमने शुरू कराई दिल्ली से—क्योंकि इस एरिया में ज्यादा मजदूर रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, मुस्लिम ब्रदर्स रहते हैं और हिन्दू ब्रदर्स रहते हैं। सब घर जाते हैं, सब मजदूर लोग जाते हैं, तो इतनी भीड़ हो गई कि चढ़ने वाले और चढ़ाने वाले—जबकि हमने व्यवस्था की थी, फिर भी उसमें स्टैम्पैड से एक हमारी मां तुल्य बूढ़ी मजदूर सीढ़ी से गिर गई, फाल डाउन हो गई। फिर उसके ऊपर और लोग चढ़ते गए, चार-पांच लोग मरे और मैं अस्पताल में गया और मैंने देखा। आगे के लिए हमने यह इंतजाम किया कि निजामुद्दीन टर्मिनल से अगर भविष्य में हमें ऐसा करना है तो हमें यह प्रीकाशन लेना होगा।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रवि शंकर प्रसाद जी ने ठीक कहा कि सिर्फ स्टेशन मास्टर ही क्यों? वहां एक वायरलेस सिस्टम प्रोवाइडेड है लोगों को, टेलीफोन है, इसमें पेपर क्लीयरेंस सिस्टम से एक गाड़ी ब्लॉक उपकरण खराब होने की सूचना दोनों स्टेशन मास्टरों को थी, दोनों को थी। ये जो केस हैं, और इनको पेपर लाइन क्लियर प्रणाली अपनाने को कहा गया था। जहां हमारा सिस्टम खराब था, हमने उनको भी सस्पेंड किया है। इसके साथ ही हम ऊपर के अधिकारियों को भी चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी डयूटी है, टू मोनिटर इट, हमारी कहां-कहां क्या इन्फोर्मेशन है और कंट्रोल रूम को भी देखना है। हम तत्काल वहां गए और जो हमने उचित समझा, उन बातों का जवाब दिया है। भारत के लोग और हमारी भारतीय महान जनता, दुर्घटना में शिकार होती है, फिर भी हम सामाजिक कार्य करते हैं। हम सभी लोगों के लिए यह चिंता का विषय है।..(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, जवाब तो आ नहीं रहा है।..(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: आपकी समझ में नहीं आ रहा है।..(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जांच करेंगे।..(व्यवधान)...

श्री सभापति: ये कह रहे हैं कि जांच करेंगे।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: ऊपर के अधिकारियों का क्या हुआ?...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: जवाब तो दिया है।..(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: ऊपर के अधिकारियों का क्या हुआ?...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: महोदय, ये जाना चाहते हैं।..(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जांच कम्प्लीट नहीं हुई है? ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: आप बैठिए...(व्यवधान)...सुनिए...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: कैसे बैठें?...(व्यवधान)... आप जवाब गलत दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: आप बचाव मत करिए...(व्यवधान)...Don't defend the Station Masters. ...(व्यवधान)... आप स्टेशन मास्टर को डिफेन्ड कर ही नहीं सकते हैं। हमने इसमें जवाब दिया है और जो हमारा सिस्टम खराब था, हम उसको देखकर चिन्हित करेंगे। ...(व्यवधान)... यदि आपको ऐसे ही जाना है तो जाइए।..(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आपने बेचारे गरीब स्टेशन मास्टर को हत्यारा करार दे दिया। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: अधिकारियों के नाम केस बनाइए।...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: जो निजामुद्दीन में एक्सिडेंट हुआ है,...(व्यवधान)... या यहां पर हुआ यह किसके आदेश पर हुआ था।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: महोदय, माननीय अहलुवालिया जी दोनों स्टेशन मास्टरों के बचाव में खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: बिल्कुल नहीं ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: आप बचाव में खड़े हैं और हम समझ रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप पदाधिकारियों को बचा रहे हैं।...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): ये जवाब नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: ये जाना चाहते हैं और बचाव में खड़े हैं।...(व्यवधान)... हमने जवाब दे दिया है।...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): ये उनको बचाना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री संजय निरुपम।...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ये कह रहे हैं...(व्यवधान)... आप बताइए किस अस्पताल में गए थे?...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: (राजस्थान) आप किसको जवाब दे रहे हैं?...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपको क्या हो रहा है?...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: मैं बता रहा हूं, आप सुनिए कि किस अस्पताल में गया था।...(व्यवधान)... मैं, किस अस्पताल में गया, बता रहा हूं...(व्यवधान)... आप जरा रुकिए...(व्यवधान)...माननीय सदस्य, आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं। आप जरा सोचिए, आप वक्ता हैं, वोकल हैं और जनता का काम कर रहे हैं आप मेरी बात तो सुनिए। हमें रेल मंत्री बनने के बाद हमारे मुंह पर, जुबान पर रोक लगा दी गई है। आप सुन तो लीजिए। जेटली भाई, आप सोच रहे होंगे कि हम अस्पताल ही नहीं गए। हम घटना-स्थल के बाद मुकेरियां गए थे, जो अपोजिट डायरेक्शन में चालीस-पचास किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर केवल हम ही नहीं सारे मीडिया के लोग भी गए थे। वह पंजाब गवर्नमेंट का अस्पताल है। उसके पीछे पोस्टमार्टम की जगह है, जहां पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं वहां

र भी गया था। उसके बाद ही हम लोग वापस लौटे हैं। आपने देखा होगा, हमने छोटे बच्चे को गोद में लिया है। यह अखबार में भी छपा है। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम वहां पर गए हैं।

श्री सभापति: ठीक है, आप होस्पिटल में जाकर आए हैं और बता दिया, ठीक है।

श्री लालू प्रसाद: सर, आप तो इंसाफ करिए कि हम गए हैं।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। आप गए हैं, हमने मान लिया है। श्री संजय निरुपम।

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): सभापति जी, हम यहां पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उस पर क्लेरिफिकेशन पूछ रहे हैं। यदि उसको मज़ाक में न उड़ाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। मंत्री जी, आपका बयान बड़ा मानवीयता पूर्ण बयान है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने कहा है कि जो लोग दुर्घटना में मरे हैं, उनके परिवार वालों को इम्पलाइमेंट दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और मेरे ख्याल से जो लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं और जो अपाहिज हो गए हैं, उनके लिए भी नौकरी दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या इस दुर्घटना के लिए है या आने वाली तमाम दुर्घटनाओं के लिए है, क्योंकि ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है? इस बारे में जरा एक क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। इस बारे में जरा क्लेरिफिकेशन दें। जो एंटी कोलिजन डिवाइस होता है, ट्रेन को टकराने से रोकने के लिए जो टक्कररोधी उपकरण होता है, हमारे पास कोंकण रेलवे में ऑलरेडी अभी से है। कोंकण रेलवे में ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए जो उपकरण होता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे रोका जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि क्या हिंदुस्तान की बाकी ट्रेनों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होगी? दूसरी बात यह है कि भारतीय रेल इस दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यह न तो पहली दुर्घटना है और न ही आखिरी दुर्घटना है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री जी ने यह कहा है कि यह हत्या का मामला है आपने बताया कि यह मामला दर्ज किया गया है, और छानबीन हो रही है। मेरा आपसे यह सवाल है कि जो एफ॰आई॰आर॰ दर्ज की गई है, क्या उसमें धारा 302 का इस्तेमाल किया गया है? दूसरा प्रश्न यह है कि हत्या का मामला सिर्फ स्टेशन मास्टर पर क्यों होना चाहिए, जैसे कि रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे, दोनों स्टेशन मास्टर्स के अलावा इस पूरे सिस्टम से जुड़े उच्च पद पर आसीन जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के ऊपर भी क्या हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा, यह मेरा आपसे सवाल है?

श्री लालू प्रसाद: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो एंटी कोलिजन को बात कही, मैं बता दूं कि हम इसे कर रहे हैं। एक-एक करके पांच साल में पूरा करने का मैंने हाउस में एश्योरेंस दिया है। सभापति जी, इसका ट्रायल भी चल रहा है। मैंने अपने जवाब में कहा है कि जिन-जिन लोगों की

जिम्मेदारी थी, हमारे संयंत्र को ठीक करने की, उन्हें भी मैं नियम-कायदे के अनुसार ठीक करूंगा हमारे कंट्रोल रूम के, मुख्यालय के जो सीनियर ऑफीसर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको इसकी खबर थी या नहीं थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसे देखूंगा। यहां पर दोनों स्टेशन मास्टर्स ने, सारे नियमों को ताक पर रखकर, जैसा किताब में है, सैक्शन है, उसका पालन नहीं किया और हमारे नर, नारी, बच्चे, भारत के नागरिक हमें गंवाने पड़े। इसलिए हमने कहा कि यह सीधा हत्या का मामला बनता है, जिसको कोर्ट में जाना है, वह वहां जाकर अपना बचाव करे ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: एफ॰आई॰आर॰ में...(**व्यवधान**)...एफ॰आई॰आर॰ में धारा 302 होनी चाहिए...(**व्यवधान**)...अगर 302 नहीं है तो यह हत्या का मामला नहीं बनता है ...(**व्यवधान**)... अगर एफ॰आई॰आर॰ में धारा 302 नहीं है, तो हत्या का मामला नहीं बनता है, ...(**व्यवधान**)...

श्री अरूण जेटली: यहां हाउस में कह रहे हैं कि हत्या का मामला है, एफ॰आई॰आर॰ में हत्या का मामला नहीं है, इससे सदन क्या समझे?...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: जेटली भाई, बात क्लियर हो जाए। मैंने स्पॉट पर जाकर कहा कि मैं जो देख रहा हूं, जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, जो कागजात हैं, इसमें सीधा मर्डर है...(**व्यवधान**)...यह वहां हमने कहा है और एफ॰आई॰आर॰ भी दर्ज हुई है ...(**व्यवधान**)...

श्री अरूण जेटली: एफ॰आई॰आर॰ में हत्या का मामला है या नहीं है...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: यह मैं देखूंगा (**व्यवधान**)...

श्री अरूण जेटली: देखेंगे ...(**व्यवधान**)...मंत्री जी कह रहे हैं कि हत्या का मामला है ...(**व्यवधान**)...आप पूरे देश से कह रहे हैं कि हत्या का मामला है....(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is playing to the gallery...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद: सुनिए, मेरी बात सुनिए...(**व्यवधान**)...मैं फिर दोहराता हूं कि मैंने स्पॉट पर कहा है कि यह बिल्कुल ग्रॉस नेग्लिजेंस एण्ड ब्रूटल मर्डर है...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: अगर हत्या का मामला है तो 302 का इस्तेमाल होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मंत्री महोदय को कहना चाहिए कि हत्या का मामला नहीं है...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: देखिए, मैं भी कानून जानता हूं यह ग्रॉस नेग्लिजेंस है और यह culpable homicide not amounting to murder. You know the definition of murder in law, murder intentionally; negligence क्या है, ब्रूटल मर्डर है तब 304 का मुकदमा होगा, इसमें सात साल की सजा है।

GOVERNMENT BILLS

The Securities Laws (Amendment) Bill, 2004

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 23 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2004

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and further to amend the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and the Companies Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Any Member desiring to speak may do so after which the Minister would reply.